रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24012022-232847
CG-DL-E-24012022-232847

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 22] नई दिल्ली, सोमवार , जनवरी 24, 2022/माघ 4, 1943
No. 22] NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 24, 2022/MAGHA 4, 1943

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

जांच शुरूआत अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 जनवरी, 2022

मामला सं. एडी (ओआई-16/2021)

विषय: चीन जन.गण., ताइवान तथा वियतनाम के मूल के अथवा वहां से निर्यातित ''रोल या शीट रूप से इतर विनायल टायल'' के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच की शुरूआत- के संबंध में।

फा. सं. 6/17/2021-डीजीटीआर.—(1) समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे ''अधिनियम'' भी कहा गया है) और उसकी समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षतिनिर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे ''नियमावली'' अथवा ''पाटनरोधी नियमावली'' भी कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए वेलस्पन इंडिया लिमिटेड, वेलस्पन फ्लोरिंग लिमिटेड तथा वेलस्पन ग्लोबल ब्रांड्स लिमिटेड (जिन्हें यहां आगे ''आवेदक'' अथवा ''याचिकाकर्ता'' भी कहा गया है) ने निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे प्राधिकारी भी कहा गया है) के समक्ष एक याचिका दायर की है जिसमें चीन जन.गण., ताइवान और वियतनाम (जिन्हें आगे **''संबद्ध देश''** भी कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित ''रोल या शीट रूप से इतर विनायल टायल'' (जिसे आगे ''संबद्ध वस्तु'' या ''विचाराधीन उत्पाद'' भी कहा गया है) के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने का अनुरोध किया गया है।

2. आवेदकों ने आरोप लगाया है कि संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद के पाटन से भारत में घरेलू उद्योग, जिसमें सितंबर, 2019 में वाणिज्यिक उत्पादन शुरू किया है, की स्थापना में वास्तविक बाधा आई है । आवेदकों ने अनुरोध किया है कि उद्योग और विचाराधीन उत्पाद बिल्कुल अरंभिक चरण में है । चूंकि उत्पाद विकासात्मक चरण में है, इसलिए उपभोक्ताओं की मांग और अपेक्षाओं के आधार पर नई विशेषताएं जोड़ी जा रही हैं । यद्यपि, उत्पाद को मूल रूप से फोम के बिना सोचा गया था, तथापि, वर्तमान मांग आईएक्सपीई फोम के साथ में है । इन विशेषताओं में वृद्धि के साथ लागत में वृद्धि हुई है परंतु बाजार में विचाराधीन उत्पाद की कीमत में गिरावट आई है । इसके अलावा, आवेदकों ने बताया है कि यद्यपि, उन्होंने 13 सितंबर, 2019 को पालन शुरू किया था, तथपि, अब भी वे बाजार में अपनी जगह बनाने में असमर्थ रहे हैं ।

3. चूंकि वर्तमान याचिका घरेलू उद्योग की स्थापना में वास्तविक बाधा से संबंधित है**,** इसलिए आयातों की कीमत पर विचार करते हुए घरेलू उद्योग के वर्तमान या संभावित कार्य निष्पादन के अनुमानित कार्य निष्पादन की तुलना करना उचित होगा । आवेदक द्वारा संयंत्र की स्थापना से पहले तैयार की गई विस्तृत व्यवहर्यता रिपोर्ट याचिका के साथ प्रस्तुत की गई है**,** उस पर याचिका के तथ्यों के मूल्यांकन के प्रयोजनार्थ विचार किया गया है ।

विचाराधीन उत्पाद

4. इस जांच में विचाराधीन उत्पाद "रोल या शीट रूप से इतर विनायल टायल" है । बाजार शब्दावली में विचाराधीन उत्पाद को लग्जरी विनायल टाइल्स, लग्जरी विनायल फ्लोरिंग, स्टोन प्लास्टिक कंपोजिट, एसपीसी, पीवीसी फ्लोरिंग टाइल्स, पीवीसी टाइल्स अथवा रिगिड विनायल टाइल्स, रिगिट विनायल फ्लोरिंग के रूप में जाना जाता है और वर्तमान याचिका में इसे लग्जरी विनायल टाइल्स अथवा एलवीटी कहा गया है । लग्जरी विनायल टाइल्स क्लिक और लॉक तंत्र सहित या उसके बिना हो सकती हैं । लग्जरी विनायल टाइल्स ऐसे विनायल प्रकार के लिए उद्योग में सामान्यत: प्रयुक्त होता है जो प्रयोग और कार्य निष्पादन में सुधार के लिए एक अतिरिक्त परत के साथ प्राकृतिक सामग्रियों के दृश्य की वास्तविक रूप से नकल करता है । विचाराधीन उत्पाद का प्रयोग आवासीय और वाणिजियक भवनों में फर्श को कवर करने में होता है ।

5. विचाराधीन उत्पाद सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम के अध्याय 39 के तहत शीर्ष 3918 के अंतर्गत वर्गीकृत है। विचाराधीन उत्पाद का समर्पित सीमाशुल्क वर्गीकरण नहीं है । यद्यपि विचाराधीन उत्पाद 39181090 के तहत वर्गीकरण योग्य है, तथापि, आवेदकों ने दावा किया है कि उत्पाद का आयात कोड 39181010, 39189010, 39189020 और 39189090. के तहत भी हो रहा है । तथापि, सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।

समान वस्तु

6. आवेदकों ने दावा किया है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु और संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु, समान वस्तुएं हैं । यह बताया गया है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और संबद्ध देशों से निर्यातित संबद्ध वस्तु में में कोई खास अंतर नहीं है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु संबद्ध देशों से आयातित वस्तु से तकनीकी विनिर्देशनों, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्य और प्रयोग, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन और वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण की दृष्टि से तुलनीय हैं। आवेदकों ने दावा किया है कि ये दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं। वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ घरेलू उद्योग द्वारा उतपादित संबद्ध वस्तु को संबद्ध देशों से आयात की जा रही संबद्ध वस्तु के 'समान वस्तु' के माना जा रहा है।

संबद्ध देश

7. यह याचिका विचाराधीन चीन जन.गण., ताइवान और वियतनाम से विचाराधीन उत्पाद के पाटित आयातों के संबंध में दायर की गई है ।

जांच की अवधि

8. प्राधिकारी ने 1 अक्टूबर, 2020 से 30 सितंबर, 2021 तक की अवधि पर जांच की अवधि (पीओआई) के रूप में विचार किया है । क्षति अवधि में 2018-19, 2019-20, 2020-21 की अवधिया तथा जाँच अवधि शामिल होगी।

<u>उत्पाद नियंत्रण संख्या पद्धति</u>

9. आवेदकों ने निम्नलिखित मापदंडों के आधार पर उत्पाद नियंत्रण संख्या (पीसीएन) पद्धति को अपनाने का प्रस्ताव किया है:

क. टाइलों की मोटाई

ख. वियर परत की मोटाई

ग. प्रिंट लेयर/डिजिटल प्रिंटिंग का स्टाइल

घ. क्या आई एक्स पी ई फॉम प्रयुक्त हुआ है।

ड. क्या इसमें क्लिक और लॉक तंत्र है ।

10. प्राधिकारी की परिपाटी के अनुसार सभी हितबद्ध पक्षकारों से जांच शुरूआत के बाद टिप्पणियां आमंत्रित करने के पश्चात पीसीएन पद्धति का निर्णय लिया जाएगा । हितबद्ध पक्षकार इस जांच की शुरूआत की तारीख से 15 दिनों के भीतर इस जांच के प्रयोजनार्थ पीसीएन को अंतिम रूप देने के लिए अपनी टिप्पणियां/सुझाव दे सकते हैं ।

<u>घरेलू उद्योग और आधार</u>

11. यह याचिका वेलस्पन इंडिया लिमिटेड ("डब्ल्यूआईएल"), वेलस्पन फ्लेरिंग लिमिटेड ("डब्ल्यूएफ़एल") तथा वेलस्पन ग्लोबल ब्रांड्स लिमिटेड ("डब्ल्यूजीबीएल") जो संबंधित कंपनियां हैं, द्वारा दायर की गई है । डब्ल्यूआईएल, डब्ल्यूएफ़एल और डब्ल्यूजीबीएल दोनों की मूल कंपनी है । डब्ल्यूजीबीएल एक व्यापारिक कंपनी है और वह डब्ल्यू एफ एल द्वारा विनिमित संबद्ध वस्तु की बिक्री के लिए एक दीर्घावधिक संविदा में शामिल हुई है। आवेदकों ने वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ समस्त आवश्यक सूचना प्रदान की है । आवेदकों ने बताया है कि उत्पादन के स्तर तक के खर्चे डब्ल्यूएफ़एल द्वारा किए जाते हैं तथापि डब्ल्यूजीबीएल उत्पाद के लिए बिक्री और वितरण के खर्चे उठाता है और इस प्रकार, उन्होंने संयुक्त रूप से वर्तमान याचिका दायर की है ।

12. आवेदकों ने सूचित किया है कि उत्पादन का आरंभिक स्तर होने के कारण उन्होंने भारत में विचाराधीन उत्पाद का आयात किया है और ये आयात आवश्यक थे क्योंकि आवेदकों ने संबद्ध वस्तु का वाणिज्यिक उत्पादन शुरू नहीं किया था । आवेदकों ने बताया है कि उन्होंने सितंबर, 2019 में वाणिज्यिक उत्पादन घोषित किया है और उनके द्वारा किया गया अंतिम आयात जुलाई, 2019 में हुआ था और वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करने के बाद उन्होंने संबद्ध वस्तु का आयात नहीं किया है । आवेदकों ने भी बताया है कि वे संबद्ध देशों में संबद्ध वस्तु के निर्यातकों या भारत में आयातकों से संबंधित नहीं हैं । अत: आवेदकों ने अनुरोध किया है कि उन्हें घरेलू उद्योग के दायरे के भीतर माना जाए ।

13. आवेदकों ने बताया है कि भारत में संबद्ध वस्तु के तीन अन्य उत्पादक अर्थात थाउजेंट ओक इनोवेशन एलएलपी, मिंगल प्लास्ट प्राइवेट लिमिटेड तथा रेस्पोंसिव इंडस्ट्रीज लिमिटेड हैं । रिकॉर्ड में उपलब्ध सूचना से यह नोट किया जाता है कि आवेदकों के पास भारत में समान वस्तु के घरेलू उत्पादन का 95 प्रतिशत हिस्सा है ।

14. इस बात पर विचार करते हुए कि वर्तमान मामले में घरेलू उद्योग आरंभिक चरण में है और यह कि डब्ल्यू एफ एल द्वारा वाणिज्यिक उत्पादन घोषित होने के बाद और पी ओ आई में आवेदकों द्वारा कोई आयात नहीं हुआ है; और यह कि आवेदकों के पास भारत में कुल घरेलू उत्पादों का प्रमुख हिस्सा है । प्राधिकारी का विचार है कि आवेदक पाटनरोधी नियमावली के नियम 2 (ख) के अंतर्गत यथापरिभाषित घरेलू उद्योग है और याचिका पाटनरोधी नियमावली के नियम 5(3) के अनुसार स्थिति संबंधी अपेक्षा को पूरा करती है।

सामान्य मूल्य

चीन जन.गण. के लिए सामान्य मूल्य

15. आवेदकों ने दावा किया है कि चीन जन. गण. को एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश माना जाना चाहिए और जब तक चीन के उत्पादक यह नहीं दर्शाते कि उनके यहां बाजार अर्थव्यवस्था की दशा विद्यमान है, उनके लिए सामान्य मूल्य को पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध -1 के पैरा 7 के अनुसार निर्धारित किया जाना चाहिए। इस संबंध में आवेदकों ने चीन जन.गण. के लिए सामान्य मूल्य निर्धारित करने हेतु कोरिया गणराज्य की उचित तीसरे देश के रूप में पहचान की है । आवेदकों ने कहा है कि कोरिया आरपी से भारत में विचाराधीन उत्पाद के उनके पास आयातों के लेनदेन-वार आंकड़ों के अनुसार, आयात गैर-पाटित कीमतों पर आ रहे हैं, इसलिए, आवेदकों ने प्रस्तावित किया है कि भारत को कोरिया गणराज्य से निर्यातों की सीआईएफ कीमत के आधार पर चीन जन.गण. के लिए सामान्य मूल्य निर्धारित किया है । इस कीमत को समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा, पत्तन व्यय, कमीशन, बैंक प्रभार और अंतरदेशीय भाड़े के लिए समायोजित किया गया है । जांच शुरूआत के प्रयोजनार्थ प्राधिकारी ने सामान्य मूल्य के निर्धारण के संबंध में आवेदकों के दावे को स्वीकार किया है । हितबद्ध पक्षकार चीन जन.गण. के लिए तीसरे देश के रूप में कोरिया गणराज्य के स्वीकार करने के संबंध में अपनी टिप्पणियां यदि कोई हों निर्धारित समय के भीतर दे सकते हैं ।

ताइवान तथा वियतनाम के लिए सामान्य मूल्य

16. आवेदकों ने दावा किया है कि उन्होंने ताइवान और वियतनाम के लिए इन देशों में प्रत्यक्ष बिक्री कीमत के आधार पर सामान्य मूल्य के निर्धारण के प्रयास किए थे परंतु उन्हें वहां उसका कोई साक्ष्य नहीं मिला था और यह भी कि चूंकि विचाराधीन उत्पाद के लिए कोई समर्पित कोड नहीं है, इसलिए संबद्ध देशों से आयातों या निर्यातों के आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित करना संभव नहीं है । इसलिए, आवेदकों ने भारत में उत्पादन की लागत को ध्यान में रखते हुए, उचित रूप से समायोजित और उचित मार्जिन के साथ, सर्वोत्तम उपलब्ध जानकारी के आधार पर ताइवान और वियतनाम के लिए सामान्य मूल्य का निर्माण करने का प्रस्ताव दिया है। जांच शुरूआत के प्रयोजनार्थ प्राधिकारी ने सामान्य मूल्य के निर्धारण के संबंध में आवेदकों के ताइवान और वियतनाम के लिए दावे को स्वीकार किया है ।

निर्यात कीमत

17. संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु की निर्यात कीमत डी जी सी आई एंड एस के आंकड़ों में सूचित सीआईएफ कीमत पर विचार करते हुए निर्धारित की गई है । समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा, पत्तन व्यय, बैंक प्रभार, अंतर्देशीय भाड़ा और कमीशन, के लिए कीमत समायोजन किए गए हैं । जांच की शुरूआत को उचित ठहराने के लिए निर्यात कीमत के संबंध में पर्याप्त साक्ष्य हैं ।

पाटन मार्जिन

18. सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत की तुलना कारखाना द्वार स्तर पर की गई है जिससे प्रथम दृष्टया पता चलता है कि पाटन मार्जिन न्यूनतम स्तर से अधिक है और संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद के संबंध में काफी अधिक है ।

19. घरेलू उद्योग द्वारा या उसकी ओर से किए गए विधिवत रूप से साक्ष्यांकित लिखित आवेदन के आधार पर और संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के पाटन, घरेलू उद्योग को क्षति और कथित पाटन तथा क्षति के बीच कारणात्मक संबंध के बारे में घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर तथा नियमावली के नियम 5 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क के अनुसार प्राधिकारी एतद्वारा संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के संबंध में किसी कथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव का निर्धारण करने और पाटनरोधी शुल्क की ऐसी राशि जिसे यदि लगाया जाए तो वह घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी, की सिफारिश करने के लिए एतद्वारा जांच की शुरूआत करते हैं ।

प्रक्रिया

20. वर्तमान जांच में नियमावली के नियम 6 में यथाप्रदत्त सिद्धांतों का पालन किया जाएगा ।

सूचना प्रस्तुत करना

21 कोविड-19 महामारी से उत्पन्न विशेष परिस्थितियों के मद्देजर, निर्दिष्ट प्राधिकारी को समस्त पत्र ई-मेल पतों adg15-dgtr@gov.in, adv11-dgtr@gov.in, dir16-dgtr@gov.in और dd15-dgtr@gov.in. पर ई-मेल के माध्यम से भेजे जाने चाहिए । यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अनुरोध का वर्णनात्मक हिस्सा पीडीएफ/एमएस वर्ल्ड फार्मेट में और आंकड़ों की फाइल एम एस एक्सल फार्मेट में खोजे जाने योग्य हो ।

22. संबद्ध देशों के ज्ञात निर्यातकों, भारत में स्थित उनके दूतावास के जरिए संबद्ध देश की सरकारों, भारत में संबद्ध वस्तु से संबंधित समझे जाने वाले आयातकों और प्रयोक्ताओं तथा घरेलू उद्योग को नीचे निर्धारित की गई समय सीमा के भीतर विहित प्रपत्र में एवं ढंग से समस्त संगत सूचना प्रस्तुत करने के लिए अलग से सूचित किया जा रहा है।

23. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी नीचे दी गई समय सीमा के भीतर विहित प्रपत्र और ढंग से इस जांच से संगत अपने अनुरोध प्रस्तुत कर सकता है ।

24. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी पक्षकार के लिए अन्य पक्षकारों को उपलब्ध कराने हेतु उसका एक अगोपनीय अंश प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

समय सीमा

25. वर्तमान जांच से संबंधित कोई सूचना पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार सूचना की प्राप्ति की तारीख से 30 दिनों के भीतर adg15-dgtr@gov.in, adv11-dgtr@gov.in, dir16-dgtr@gov.in और dd15-dgtr@gov.in. ई-मेल पतों पर ई-मेल के माध्यम से निर्दिष्ट प्राधिकारी को भेजी जानी चाहिए। तथापि, यह नोट किया जाये कि उक्त नियम के स्पष्टीकरण के अनुसार, सूचना और अन्य दस्तावेज मंगाने वाली सूचना को निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा पत्र भेजे जाने या निर्यातक देश के उचित राजनियक प्रतिनिधि को दिए जाने की तारीख से एक सप्ताह के भीतर प्राप्त हुआ मान लिया जाएगा। यदि विहित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त सूचना अधूरी होती है तो प्राधिकारी नियमावली के अनुसार रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

26. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्वारा वर्तमान मामले में अपने हित (हित के स्वरूप सहित) की सूचना देने और उपर्युक्त समय सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने की सलाह दी जाती है ।

27. हितबद्ध पक्षकारों को यह भी सलाह दी जाती है कि इस जांच के संबंध में किसी भी अद्यतन सूचना के लिए वे निर्दिष्ट प्राधिकारी की आधिकारिक वैबसाइट अर्थात www.dgtr.gov.in को नियमित रूप से देखते रहें ।

गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

28. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने या गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार को नियमावली के नियम 7(2) और इस संबंध में जारी व्यापार सूचनाओं के अनुसार उसका अगोपनीय अंश भी साथ में प्रस्तुत करना अपेक्षित है। उपर्युक्त का पालन न करने पर उत्तर/अनुरोध को अस्वीकृत किया जा सकता है।

29. प्रश्नावली के उत्तर सहित प्राधिकारी के समक्ष कोई अनुरोध (उससे संलग्न परिशिष्ट/अनुबंध सहित) प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों के लिए गोपनीय और अगोपनीय अंश अलग-अलग प्रस्तुत करना अपेक्षित है ।

30. "गोपनीय "या" अगोपनीय "अनुरोधों पर स्पष्ट रूप से प्रत्येक पृष्ठ पर" गोपनीय "या" अगोपनीय "अंकित होना चाहिए। ऐसे अंकन के बिना प्रस्तुत सूचना को प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसे अनुरोध का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे।

31. गोपनीय पाठ में ऐसी समस्त सूचना होगी जो स्वाभाविक रूप से गोपनीय है और/अथवा ऐसी अन्य सूचना जिसके ऐसी सूचना के प्रदाता द्वारा गोपनीय होने का दावा किया गया है। स्वाभाविक रूप से गोपनीय होने का दावा की गई सूचना या अन्य कारणों से गोपनीयता का दावा की गई सूचना के संबंध में सूचना प्रदाता को प्रदत्त सूचना के साथ ऐसे कारणों का विवरण प्रस्तुत करना होगा कि उस सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता है।

32. अगोपनीय रूपांतरण को उस सूचना ,जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है, पर निर्भर रहते हुए अधिमानत: सूचीबद्ध या रिक्त छोड़ी गई (यदि सूचीबद्ध करना व्यवहार्य न हो) और सारांशीकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय रूपांतरण की अनुकृति होना अपेक्षित है। अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना की विषय वस्तु को तर्कसंगत ढंग से समझा जा सके। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रदाता पक्षकार यह इंगित कर सकते हैं कि ऐसी सूचना का सारांश संभव नही है और प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार इस आशय के कारणों का एक विवरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए कि सारांशीकरण क्यों सभव नहीं है।

33. प्रस्तुत सूचना के स्वरूप की जांच करने के बाद प्राधिकारी गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित नहीं है अथवा सूचना प्रदाता उक्त सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्य रूप में अथवा सारांश रूप में उसके प्रकटन को प्राधिकृत करने का अनिच्छुक है तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।

34. सार्थक अगोपनीय रूपांतरण के बिना या गोपनीयता के दावे के बारे में यथोचित कारण के विवरण के बिना किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा।

35. प्रदत्त सूचना की गोपनीयता की जरूरत से संतुष्ट होने और उसे स्वीकार कर लेने के बाद प्राधिकारी ऐसी सूचना के प्रदाता पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी पक्षकार को उसका प्रकटन नहीं करेंगे।

<u>सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण</u>

36. पंजीकृत हितबद्ध पक्षकारों की एक सूची इस अनुरोध के साथ डी जी टी आर की वैबसाइट पर अपलोड की जाएगी कि सभी हितबद्ध पक्षकार अपने अनुरोधों के अगोपनीय अंश को सभी अन्य हितबद्ध पक्षकारों के लिए ई-मेल कर दें क्योंकि वर्तमान वैश्विक महामारी के कारण सार्वजनिक फाइल भौतिक रूप से उपलब्ध नहीं होगी ।

<u>असहयोग</u>

37. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है अथवा उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी ऐसे हितबद्ध पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं और अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं और केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

अनंत स्वरूप, संयुक्त सचिव एवं निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Directorate General of Trade Remedies)

<u>INITIATION NOTIFICATION</u>

New Delhi, the 24th January, 2022

(Case No. AD (OI) -16/2021

Subject: Initiation of anti-dumping investigation concerning imports of "Vinyl Tiles other than in roll or sheet form" originating in or exported from China PR, Taiwan and Vietnam-reg.

F. No. 6/17/2021 –DGTR.—(1) Having regards to the Customs Tariff Act, 1975, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the "Act") and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the "Rules" or the "Anti-Dumping Rules"), Welspun India Limited, Welspun Flooring Limited and Welspun Global Brands Limited (hereinafter also referred to as the "applicants" or the "petitioners") have filed a petition before the designated authority (hereinafter also referred to as the "authority") seeking imposition of the anti-dumping duty on the imports of Vinyl Tiles other than in roll or sheet form (hereinafter referred to as the "subject goods" or the "product under consideration") originating in or exported from China PR, Taiwan and Vietnam (hereinafter also referred to as the "subject countries").

2. The applicants have alleged that the dumping of the product under consideration from the subject countries is materially retarding the establishment of the domestic industry in India which started commercial production in September, 2019. The applicants have submitted that the industry and the product under consideration are at the nascent stage. As the product is in the developing phase, newer attributes are being added based on the demand and the expectations of the consumers. While the product was originally conceived without a foam, the current demand is with IXPE foam. With increase in the attributes, the costs have increased but the price for the product under consideration in the market has declined. Further, the applicants have submitted that although they commenced production on 13th September 2019, they have not been able to find a place in the market yet.

3. The present petition being that of material retardation to the establishment of the domestic industry, it would be appropriate to compare the projected performance of the domestic industry with the present or the potential performance, considering the price of the imports. A detailed feasibility report, which was prepared by the applicants before the plant was set up, has been submitted with the petition. The same has been considered for the purpose of evaluating the merits of the petition.

Product under consideration

4. The product under consideration for the present investigation is "Vinyl Tiles, other than in roll or sheet form". In the market parlance, the product under consideration is known as luxury vinyl tiles, luxury vinyl flooring, stone plastic composite, SPC, PVC flooring tiles, PVC tiles or rigid vinyl tiles, rigid vinyl flooring and in the present petition, has been referred to as Luxury Vinyl Tiles or LVT. Luxury Vinyl Tiles may be with or without the click and lock mechanism. Luxury vinyl tiles is a commonly used industry term for a type of vinyl that realistically mimics the appearance of the natural materials with an added layer to improve the wear and the performance. The product under consideration is used for covering the floors in the residential and the commercial buildings.

5. The product under consideration is classified under Chapter 39 of the Customs Tariff Act under the heading 3918. The product under consideration does not have a dedicated customs classification. While the product under consideration is classifiable under 39181090, the applicants have claimed that the product is also being imported under the Codes 39181010, 39189010, 39189020 and 39189090. The customs classification, however, is only indicative and not binding on the scope of the product under consideration in the present investigation.

Like article

6. The applicants have claimed that the subject goods produced by the domestic industry are the like articles to the subject goods originating in or exported from the subject countries. It has been stated that there are no significant differences in the subject goods produced by the domestic industry and those exported from the subject countries. The subject goods produced by the domestic industry are comparable to the imported goods from the subject countries in terms of technical specifications, manufacturing process & technology, functions & uses, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. The applicants have claim that the two are technically and commercially substitutable. For the purpose of the present investigation, the subject goods produced by the domestic industry are being treated as the 'like article' to the subject goods being imported from the subject countries.

Subject countries

7. The petition has been filed in respect of the dumped imports of product under consideration from China PR, Taiwan and Vietnam.

Period of investigation

8. The authority has considered 1st October, 2020 to 30th September, 2021 as the period of investigation (POI). The injury period will cover the periods 2018-19, 2019-20, 2020-21 and the period of investigation.

Product Control Number methodology

9. The applicants have proposed the adoption of the Product Control Number (PCN) methodology, based on the following parameters:

a. Thickness of tiles

b. Thickness of wear layer

c. Style of print layer / digital printing

d. Whether IXPE foam is used

e. Whether it has click and lock mechanism.

10. As per the practice of the authority, the PCN methodology would be decided post initiation after inviting comments from all the interested parties. The interested parties may provide their comments/suggestions for the finalization of PCNs for the purpose of this investigation within 15 days from the date of the initiation of this investigation.

Domestic industry and standing

11. The petition has been filed by Welspun India Limited ("WIL"), Welspun Flooring Limited ("WFL") and Welspun Global Brands Limited ("WGBL"), which are related entities. WIL is the parent company of both WFL and WGBL. WGBL is a trading entity and has entered into a long-term contract for the sale of the subject goods manufactured by WFL. The applicants have provided all the necessary information for the purpose of the present investigation. The applicants have stated that while the expenses till the stage of production are incurred by WFL, WGBL incurs the selling and distribution expenses for the product and thus, they have jointly filed the present petition.

12. The applicants have reported that being in the nascent stage of production, they have imported the product under consideration in India and that these imports were necessitated as the applicants had not commenced commercial production of the subject goods. The applicants have stated that they declared the commercial production in September, 2019 and the last import made by them was in July, 2019 and they have not imported the subject goods post commencing commercial production. The applicants have also stated that they are not related to the exporters of the subject goods from the subject countries or the importers in India. The applicants have, therefore, requested that they may be considered within the scope of the domestic industry.

13. The applicants have submitted that there are three other producers of the subject goods in India, namely, Thousand Oak Innovation LLP, Mingle Plast Private Limited and Responsive Industries Limited. From the information available on record, it is noted that the applicants account for 95% of the domestic production of the like article in India.

14. Considering that the domestic industry in the present case is at a nascent stage and that no imports have been made by the applicants after WFL declared commercial production and in the POI; that applicants account for a major proportion of the total domestic production in India, the Authority is of the view that the applicants constitute domestic industry as defined under Rule 2(b) of the Anti-Dumping rules, and the petition satisfies the requirement of standing in terms of Rule 5(3) of the Anti-Dumping Rules.

Normal value

Normal value for China PR

15. The applicants have claimed that China PR should be treated as a non-market economy and unless the Chinese producers show that such market economy conditions prevail, their normal value should be determined in accordance with Para 7 of Annexure – I to the Anti-Dumping Rules. In this regard, the applicants have identified Korea RP as an appropriate third country to determine the normal value for China PR. The applicants have stated that as per the transaction wise data of the imports of the product under consideration from Korea RP to India, the imports are coming at un-dumped prices. The applicants have, therefore, proposed to determine the normal value for China PR on the basis of the CIF price of exports from Korea RP to India. Such price has been adjusted for ocean freight, marine insurance, port expenses, commission, bank charges and inland freight. The authority, for the purpose of the initiation of the investigation, has accepted the claim of the applicants in respect of the determination of the normal value. The interested parties may offer their comments, if any, on accepting Korea RP as the appropriate third country for China PR within the prescribed time.

Normal value for Taiwan and Vietnam

16. The applicants have claimed that they had made efforts to determine the normal value for Taiwan and Vietnam based on the basis of the direct selling price in these countries but were not able to find any evidence for the same and further that as there are no dedicated codes for the product under consideration, it is not possible to determine the normal value based on the exports from these countries. The applicants have, therefore, proposed to construct the normal value for Taiwan and Vietnam on the basis of the best available information, having regard to the cost of the production in India, duly adjusted, and with reasonable margin. The authority, for the purpose of the initiation of the investigation, has accepted the claim of the applicants in respect of the determination of the normal value for Taiwan and Vietnam.

Export price

17. The export price of the subject goods from the subject countries has been determined by considering the CIF price reported in the DGCI&S data. The price adjustments have been made on account of Ocean freight,

Marine insurance, Port expenses, Bank charges, Inland freight and Commission. There is sufficient evidence with respect to the export price to justify initiation of the investigation.

Dumping margin

18. The normal value and the export price have been compared at ex-factory level, which prima facie show that the dumping margin is above the de-minimis level and significant in respect of the product under consideration from the subject countries.

19. On the basis of the duly substantiated written application by or on behalf of the domestic industry, and having satisfied itself, on the basis of the prima facie evidence submitted by the domestic industry, about dumping of the product under consideration originating in or exported from the subject country, injury to the domestic industry and causal link between such alleged dumping and injury, and in accordance with Section 9A of the Act read with Rule 5 of the Rules, the Authority, hereby, initiates an investigation to determine the existence, degree and effect of any alleged dumping in respect of the product under consideration originating in or exported from the subject countries and to recommend the amount of anti-dumping duty, which if levied, would be adequate to remove the injury to the domestic industry.

Procedure

20. The principles as given in Rule 6 of the Rules will be followed for the present investigation.

Submission of information

21. In view of the special circumstances arising out of COVID-19 pandemic, all communication should be sent to the Designated Authority via email at email addresses adg15-dgtr@gov.in, adv11-dgtr@gov.in, dir16-dgtr@gov.in and dd15-dgtr@gov.in . It should be ensured that the narrative part of the submission is in searchable PDF/MS Word format and data files are in MS Excel format.

22. The known exporters in the subject countries, their governments through their Embassies in India, the importers and users in India known to be concerned with the subject goods and the domestic industry are being informed separately to enable them to file all the relevant information in the form and manner prescribed within the time-limit set out below.

23. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the form and manner prescribed within the time-limit set out below on email addresses mentioned above.

24. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to the other parties.

Time-limit

25. Any information relating to the present investigation should be sent to the Designated Authority via email at the email addresses adg15-dgtr@gov.in, adv11-dgtr@gov.in, dir16-dgtr@gov.in and dd15-dgtr@gov.in within thirty days from the date of receipt of the notice as per Rule 6(4) of the Anti-Dumping Rules. It may, however, be noted that in terms of explanation of the said Rule, the notice calling for information and other documents shall be deemed to have been received one week from the date on which it was sent by the Designated Authority or transmitted to the appropriate diplomatic representative of the exporting country. If no information is received within the prescribed time-limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Rules.

26. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses within the above time limit.

27. The interested parties are further advised to keep a regular watch on the official website of DGTR, i.e., www.dgtr.gov.in for any updated information with respect to this investigation.

Submission of information on confidential basis

28. Any party making any confidential submission or providing information on confidential basis before the Authority, is required to simultaneously submit a non-confidential version of the same in terms of Rule 7(2) of the Rules and the Trade Notices issued in this regard. Failure to adhere to the above may lead to rejection of the response / submissions.

29. The parties making any submission (including Appendices/Annexes attached thereto), before the Authority including questionnaire response, are required to file Confidential and Non-Confidential versions separately.

30. The "confidential" or "non-confidential" submissions must be clearly marked as "confidential" or "non-confidential" at the top of each page. Any submission made without such marking shall be treated as non-confidential by the Authority, and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect such submissions.

31. The confidential version shall contain all information which is by nature confidential and/or other information which the supplier of such information claims as confidential. For information which are claimed to be confidential by nature or the information on which confidentiality is claimed because of other reasons, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed.

32. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (in case indexation is not feasible) and summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, the party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summary, and a statement of reasons why summarization is not possible must be provided to the satisfaction of the Authority.

33. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.

34. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without good cause statement on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority.

35. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided, shall not disclose it to any party without specific authorisation of the party providing such information.

Inspection of Public File

36. A list of all registered interested parties will be uploaded on DGTR's website along with the request therein to all of them to email the non-confidential version of their submissions to all other interested parties since the public file will not be accessible physically due to ongoing global Covid-19 pandemic.

Non-cooperation

37. In case where an interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

ANANT SWARUP, Jt. Secy. & Director General

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2022.01.24 22:31:58 +05'30'